न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
80/2021	01.07.2021	17/12/25

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– हरलाल आत्मज सुरजमल
2– राजेन्द्र आत्मज सूरजमल ना0
3– रघुवीर आज्मज राधेश्याम
4– ललित आत्मज राधेश्याम ना0 जर्येवली माता संतोष
5– संतोष पत्नि राधेश्याम जाति मीणा निवासी आमोरा
6– संतोष पुत्री सूरजमल जाति मीणा निवासी आमोरा तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1– भोजराज आत्मज बजरंगलाल जाति मीणा
1/1–ओमप्रकाश पुत्र भोजराज
1/2–जगदीश प्रसाद पुत्र भोजराज
2– छीता बाई पुत्री बजरंग लाल जाति मीणा
3– बिरधी बाई पुत्री बजरंग लाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम आमोरा तहसील दीगोद जिला कोटा
4– रोशन बाई पुत्री, सूरजमल जाति मीणा निवासी कचोलिया तहसीलं दीगोद जिला कोटा
5– राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगणकी ओर से – श्री बलराम शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री धनाराज मण्डावत

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत बंटवारा

–:: निर्णय ::–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1. यह कि ग्राम आमोरा तहसील दीगोद में निम्न विवरण की भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 संलग्न है।

खसरा नं. 121 की 1.31 हेक्टर, खसरा नं. 132 की 0.67 हेक्टर, खसरा नं. 133 की 0.11 हेक्टर, कुल 3 किता की 2.09 हैक्टर भूमि

2– यह कि उपरोक्त भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में वादी नं0 1–2, 6 व प्रतिवादी नं0 4 के पिता, वादी नं० 3–4 के दादा व वादी नं0 5 के ससुर बजरंगलाल जी व प्रतिवादी नं0 1–2–3 के पिता बजरंगलाल जी के खाते दर्ज चली आ रही थी। जिसमें बजरंगलाल जी का 1/2 हिस्सा व सूरजमल जी का 1/2 हिस्सा दर्ज था। सूरजमल व बजरंगलाल जी की मृत्यु के बाद उनके वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई जिसमें वादीगण व प्रतिवादी न० 4 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण नं० 1 ता 3 का 1/2 हिस्सा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी न० 4 सोहनी बाई का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 का 3/4 हिस्सा दर्ज किया गया है जो गलत है।

3 यह कि ग्राम खेडली महादीत तहसील दीगोद में खसरा नं. 337/414 की 0.20 हेक्टर भूमि भूमि स्थित चली आ रही है। जो वादीगण व सोहन बाई बेवा सूरजमल के नाम दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 संलग्न है।

4–यह कि वादीगण व प्रतिवादीगंण नं० 1 ता 4 जाति से मीणा है तथा मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। मीणा जाति व समाज में पुत्रियों का भूमि में कोई अधिकार नहीं होता है। वैसे भी वादी नं0 6 व प्रतिवादनी नं0 2–3–4 अपने ससुराल में निवास करती है। प्रतिवादनी नं0 2–3 बजरंग लाल जी की पुत्रियां है जिनको किसी प्रकार का कोई अधिकार उक्त भूमि में प्राप्त नहीं होता है ओर वादी नं0 6 व प्रतिवादनी न० 4 सूरजमल की पुत्रियां है जिनको भी किसी प्रकार का कोई अधिकार उक्त भूमि में प्राप्त नही होता है। न ही वादी नं० 6 व प्रतिवादनी नं. 2 ता 4 का किसी प्रकार का अधिकार व कब्जा है।

5– यह कि प्रतिवादनी नं0 2 व 3 ने प्रतिवादी नं० 1 के पक्ष में हक त्याग कर रखा है तथा अपना हिस्सा लेने से भी इन्कार कर रखा है तथा वादी नं0 6 व प्रतिवादी नं0 4 ने भी अपने भाई भतीजों के हक में अपना हिस्सा मोखिक रूप से छोड रखा है। इस कारण वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादनी नं0 2–3 का एंव वादी न0 6 व प्रतिवादी नं0 4 का नाम हटाया जाकर वादी नं0 1 ता 5 को 1/2 हिस्से का एंव प्रतिवादी नं० 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना एंव विभाजन किया जाकर अलग अलग खाता किया जाना आवश्यक हो गया है।

6– यह कि इसी प्रकार वाद पत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित भूमि में से संतोष बाई व रोशन बाई ने अपना हिस्सा भाई भतीजों में छोड रखा है इस कारण उक्त भूमि में यादी नं० 1 व 2 का 1/3, 1/3 हिरसा व वादी नं0 3–4–5 का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक है। सोहन बाई की मृत्यु हो चुकी है।

7–यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी नं0 1–2–3 का 3/4 हिस्सा व वादीगण का 1/4 हिस्सा अंकित है जो गलत है इस कारण राजस्व रिकार्ड में

प्रतिवादी नं० 1 का 1/2 हिस्सा व वादी नं0 1 ता. 5 का 1/2 हिस्सा अंकित किया जाना व इसी अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन किया जाना आवश्यक है।

8– यह कि प्रतिवादी नं० 1 उक्त अवैध इन्द्राजात के आधार पर अवैधानिक तरीके से वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से के वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर आमादा है जिसका कि प्रतिवादी नं० 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

9. यह कि कि वादीगण ने प्रतिवादी न० 1 से राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम 1/2 हिस्से पर व प्रतिवादी नं० 1 का नाम 1/2 हिस्से पर दर्ज कराने व इसी अनुसार विभाजन कराने हेतु दिनांक 12–6–2016 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ने वादीगण को उक्त 1/2 हिस्से की भूमि से वैदखल करने, वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने तथा रिकार्ड के अनुसार भूमि को रहन बेचान करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादी नं० को उक्त अवैध कृत्य करने से नहीं रोका गया व वादीगण को वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित नहीं किया गया तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी।

10. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज, विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है।

11. यह कि बाद कारण प्रतिवादी नं० 1 द्वारा दिनांक 12–6–2016 को प्रतिवादी नं० 1 द्वारा वादीगण को 1/2 हिस्से पर नाम दर्ज कराने से इन्कार करने व वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने व वर्तमान रिकार्ड के अनुसार भूमि को रहन बेचान करने की धमकी देने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे–

1.कि ग्राम आमोरा तहसील दीगोद की खसरा नं. 121 की 1.31 हेक्टर, खसरा नं. 132 की 0.67 हेक्टर, खसरा नं. 133 की 0.11 हेक्टर कुल 3 किता की 2.09 हैक्टर भूमि में वादीगण नं. 1 ता 5 को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी नं० 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी नं0 6 प्रतिवादी न० 2–3 का नाम एंव मृतक सोहनी बाई का नाम डिलिट किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2.कि ग्राम आमोरा तहसील दीगोद की खसरा नं. 121 की 1.31 हेक्टर, खसरा नं. 132 की 0.67 हेक्टर, खसरा नं. 133 की 0.11 हेक्टर कुल 3 किता की 2.09 हेक्टर भूमि का वादीगण नं० 1 ता 5 व प्रतिवादी नं० 1 के मध्य विभाजन किया जाकर वादीगण के खाते में 1/2 हिस्से की भूमि दर्ज की जाये।

3.कि ग्राम खेडली महादीत तहसील दीगोद की खसरा न 337/414 की 1.31 हेक्टर भूमि में वादीगण नं. 1 ता–5 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाये तथा वादी नं0 6 प्रतिवादी न० 2–3 का नाम एंव मृतक सोहनी बाई का नाम डिलिट किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

4.कि प्रतिवादी नं. 5 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

5.कि स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम आमोरा तहसील दीगोद की खसरा नं. 121 की 1.31 हेक्टर, खसरा नं. 132 की 0.67 हेक्टर, खसरा नं. 133 की 0.11 हेक्टर कुल 3 किता की 2.09 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्से के वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा. नही करे ओर उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करे ओर उपरोक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान, अन्तरण व खुर्द बुर्द आदि नही करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे।

वादीगण द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये–

1. नकलजमाबंदी खेडली महादीत ग्राम सीमलिया संवत् 2069–2072
2. नकल प्रति रिलीजडीड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी क्रम 1 की मृत्यु होने से कायममुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 की ओर से श्री धनराज मण्डावत अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी न0 4 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी क्रम 1 के कायममुकाम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी क्रम1/1 ता 1/2 की ओर से श्री धनराज मण्डावत अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण 1/1 ता 3 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को साक्ष्य में लिया गया। वादी अधिवक्ता की ओर से साक्ष्य में PW–1 हरलाल पुत्र सूरजमल जाति मीणा निवासी आमोरा तहसील दीगोद का पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया की पक्षकारान जाति से मीणा हे इस कारण मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है।

पत्रावली में उलब्ध दस्तावेजात के आधोपान्त अवलोकन, अध्ययन व बहस कथनों के मनन उपरान्त हम इस निषकर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किये जानेय योग्य है।

अतः वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम आमोरा तहसील दीगोद की खसरा नं. 121 की 1.31 हेक्टर, खसरा नं. 132 की 0.67 हेक्टर, खसरा नं. 133 की 0.11 हेक्टर कुल 3 किता की 2.09 हैक्टर भूमि तथा ग्राम खेडली महादीत तहसील दीगोद की खसरा न0 337/414 की 1.31 है0 भूमि में में वादी नं0 6 प्रतिवादी न० 2–3 का नाम एंव मृतक सोहनी बाई का नाम डिलिट किये जाने तथा वादीगण नं. 1 ता 5 को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी नं० 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार दीगोद नियमानुसार राजस्व वसूल करें। मुताबिक़ निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17/12/25 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– हरलाल आत्मज सुरजमल
2– राजेन्द्र आत्मज सूरजमल ना0
3– रघुवीर आज्मज राधेश्याम
4– ललित आत्मज राधेश्याम ना0 जर्येवली माता संतोष
5– संतोष पत्नि राधेश्याम जाति मीणा निवासी आमोरा
6– संतोष पुत्री सूरजमल जाति मीणा नि0 आमोरा तहसील दीगोद जिला **(वादीगण)**

बनाम

1– भोजराज आत्मज बजरंगलाल जाति मीणा
1/1– ओमप्रकाश पुत्र भोजराज
1/2–जगदीश प्रसाद पुत्र भोजराज
2– छीता बाई पुत्री बजरंग लाल जाति मीणा
3– बिरधी बाई पुत्री बजरंग लाल जाति मीणा नि0 ग्राम आमोरा तहसील दीगोद कोटा
4– रोशन बाई पुत्री, सूरजमल जाति मीणा नि0 कचोलिया तहसीलं दीगोद जिला कोटा
5– राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा **(प्रतिवादीगण)**

वादीगणकी ओर से – श्री बलराम शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री धनाराज मण्डावत

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत बंटवारा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादीगण का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम ग्राम आमोरा तहसील दीगोद की खसरा नं. 121 की 1.31 हेक्टर, खसरा नं. 132 की 0.67 हेक्टर, खसरा नं. 133 की 0.11 हेक्टर कुल 3 किता की 2.09 हैक्टर भूमि तथा ग्राम खेडली महादीत तहसील दीगोद की खसरा न0 337/414 की 1.31 है0 भूमि में वादी नं0 6 प्रतिवादी न० 2–3 का नाम एंव मृतक सोहनी बाई का नाम डिलिट किये जाने तथा वादीगण नं. 1 ता 5 को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी नं० 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार दीगोद नियमानुसार राजस्व वसूल करें। मुताबिक़ निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 17/12/25 को सरे इजलास जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी दीगोद